सं0-52 /2023/ /001-675-23-12-2023-1089/2020

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2023**

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत कंसल्टेंसी के 02 चालू कार्य पर धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ पत्र सं0-4129/सीई/ एचक्यू1/डब्लूबी/ डब्लूबी/2023-24 दिनांक 03.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के कंसल्टेंसी के 02 चालू कार्य हेतु रू0 461.04 लाख (रूपये चार करोड़ इकसठ लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	**कार्यदायी संस्था का नाम**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृति का शासनादेश /दिनांक**	**स्वीकृत लागत**	**अब तक आवंटन/ व्यय**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन व रखरखाव के दौरान सुपरविजन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट की नियुक्ति।	1006/23-12-2014-699वि0बैं0/14, दि0 08-08-2014	6731.98	5665.87	450.00
2	विश्व बैंक खण्ड-1 लखनऊ	विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई में वित्तीय प्रबन्ध, पर्यावरणीय सामाजिक एवं इकोलाजिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति, जेण्डर एसेसमेंट कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण कार्य (प्रथम स्वतंत्, क्वालिटी आडिट) तकनीकी एवं इन्टरनल आडिट (वित्तीय) कार्य हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति।	1737(1)/23-12-2016, दिनांक 19.12.2016	374.70	363.66	11.04
			योग	**7106.68**	**6029.53**	**461.04**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं विश्व बैंक के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र शासन एवं विश्व बैंक को प्रेषित किया जाय।

(9) उपरोक्त उल्लिखित कार्यों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 4,61,04,000 (रूपये चार करोड़ इकसठ लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुदान सं0-058 लेखा शीर्षक-5054053379701 विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु मानद मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव

संख्या- 52 /2023/ /001-675-23-12-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी) , उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- महोलखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

6- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।

10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

13- लोक निर्माण अनु0-10

14- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शरद सक्सेना)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।